न्यायालय उपखण्डअधिकारी, दांतारामगढ़जिलासीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 96 / 2020 / धारा 136 एल.आर.एक्ट
रामूराम पुत्र हणमान राम जाति जाट निवासी सुन्दरपुरा (लढाणा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)। — प्रार्थी

ब नाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)। — अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र रणवां वकील प्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक – 18.08.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. 332, 333, 333 / 439, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 343 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4400 हैक्टेयर ग्राम चक–सुन्दरपुरा पटवार हल्का लढाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक, हिस्सा 1 / 32 कब्जे, काश्त व खातेदारी शुदा है एवं आवेदक का उपरोक्त कृषि भूमियों में रामदेव पुत्र हणमान दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमियां ख.नं. 272, 286, 290, 290 / 443, 294 / 432, 305 ता 308 कुल किता 9 कुल रकबा 9.1700 हैक्टेयर ग्राम चक–सुन्दरपुरा पटवार हल्का लढाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमे प्रार्थी / आवेदक का हक, हिस्सा1 / 8 कब्जे, काश्त एवं खातेदारी शुदाहै एवं उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी के हक, हिस्से की खातेदारी रामलाल पुत्र हणमान के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी उपरोक्त भूमियो में अपने हक, हिस्से पर काबिज, काश्त है। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक रिकार्ड, विधालय रिकार्ड, आधारकार्ड, आयकर कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में आवेदक का सही नाम "रामूराम पुत्र हणमान राम" ही दर्ज है जो सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रामूराम के स्थान पर रामदेव व रामलाल दर्जहै एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। इस सम्बंध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

कि उक्त रामदेव व रामलाल ग्राम सुन्दरपुरा मे एक ही व्यक्ति यानि रामूराम
के ही नाम है इसके अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। इस से
साफ जाहिर है कि राजस्व रिकार्ड मे आवेदक का नाम गलत रूप से रामूराम
के स्थान पर रामदेव व रामलाल दर्ज हुआ है। प्रार्थी कई बार-बार अप्रार्थी
एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित
करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही
हुई है। सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना-पत्र है एवं मुताबिक अन्य
रिकार्ड प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय
सगत है। वादकारण अरसा करीब पन्द्रह रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ
कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने
पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन
पेश कर अंत मे यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर
विवादित भूमि खसरा नम्बर 332, 333, 333/439, 334, 335, 336, 338, 339,
341, 342, 343 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4400 तथा कृषि भूमियां ख.नं.
272, 286, 290, 290/443, 294/432, 305 ता 308 कुल किता 9 कुल
रकबा 9.1700 हैक्टेयर ग्राम चक-सुन्दरपुरा पटवार हल्का लढाणा तहसील
दांतारामगढ जिला सीकर मे प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नाम
रामदेव पुत्र हणमान व रामलाल पुत्र हणमान के स्थान पर प्रार्थी का सही व
वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र हणमानराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व
रिकार्ड जमाबन्दी मे संशोधन के आदेश पारित किया जावे।

2\. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये
नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक
रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के
दौरान आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी
का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नाम रामदेव पुत्र हणमान, व रामलाल पुत्र
हणमान के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र
हणमानराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे संशोधन
के आदेश पारित किया जावे।

3\. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र मे वर्णित
तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत
अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट मे अंकन किया गया है कि
राजस्व ग्राम चक सुन्दरपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 34 मे खसरा नम्बर
332 से 336, 338, 339, 341, 342, 343, 333/439 किता 11 रकबा 6.44
है0 मे वर्तमान खातेदारी रामदेव पुत्र हणमान हिस्सा 1/32 व खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

22 खसरा नम्बर 272, 286, 290/443, 294/432, 305, 306, 307, 308 किता 9 कुल रकबा 9.17 में रामलाल पुत्र हणमान हिस्सा 1/8 जाति जाट दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र हणमानराम जाति जाट शुद्ध किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवदेन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 332, 333, 333/439, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 343 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4400 तथा कृषि भूमियां ख.नं. 272, 286, 290, 290/443, 294/432, 305 ता 308 कुल किता 9 कुल रकबा 9.1700 हैक्टेयर ग्राम चक–सुन्दरपुरा पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र हणमान व रामलाल पुत्र हणमान के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम रामूराम पुत्र हणमानराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/21

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ